

सिटी

6 प्रदेश टुडे

जबलपुर, शुक्रवार 06 फरवरी 2026

या गया।

रावरी
कर
श्र ने
121
स्टेल
दर्ज
ता व
किल
रहा
र के
क ने
पर
नाथ
हुए
ओम
तसे
चाव
जला
ग्राध

?

को।
वरी
के
सूत्रों
इस
रोप
मेत
जो
मो
नाम
के
ग्रास



मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल

MP ONLINE
HELP DESK
0755-6720200

कटनी शहर की श्री परिसर पड़रवारा कॉलोनी
अटल आश्रय योजना में कमजोर एवं निम्न आय
वर्ग हेतु भवन खरीदने का स्वर्णिम अवसर

ई-पंजीयन
27 मार्च 2026
तक आमंत्रित।

“प्रथम आओ प्रथम पाओ”

(RERA REG. No. P-KTN-17-1490)

क्र.	प्रस्तावित भवन के प्रकार	उपलब्ध भवनों की संख्या	भवन का कुर्सी क्षेत्रफल (व.मी.)	भवन का अनुमानित मूल्य (रु. लाख)	पंजीयन राशि (रुपये)	आवेदन शुल्क (रुपये/जीएसटी सहित)
प्रकोष्ठ एल.आई.जी. भवन 2 BHK						
1.	भूतल	09	46.75	975000.00	87750.00	236/-
2.	प्रथम तल	19	46.75	950000.00	85500.00	236/-
3.	द्वितीय तल	08	46.75	925000.00	83250.00	236/-
प्रकोष्ठ ई.डब्ल्यू.एस. भवन 1 BHK						
1.	भूतल	01	32.74	475000.00	42750.00	236/-
2.	प्रथम तल	07	32.74	450000.00	40500.00	236/-
3.	द्वितीय तल	26	32.74	425000.00	38250.00	236/-

नियम एवं शर्तें :- (1). योजना की विस्तृत जानकारी एवं ऑनलाइन ई-पंजीयन की सुविधा www.mponline.gov.in पर उपलब्ध है। (2). केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा भारत विभिन्न शुल्क/कर (यथा जी.एस.टी., स्थानीय निकाय को देय शुल्क, विक्रय विलेख, फीस, स्टॉम्प शुल्क, विद्युत संयोजन शुल्क, जलकर इत्यादि) पृथक से देय होंगे। (3). योजना में लॉटरी में चयनित आवेदनकर्ताओं के अतिरिक्त शेष आवेदनकर्ताओं की पंजीयन राशि उनके बैंक खाते में लॉटरी दिनांक से 15 दिवस में बिना ब्याज (मूल राशि) वापिस की जावेगी। (4). पंजीयन स्वीकृत अथवा लॉटरी द्वारा पंजीयन हेतु चयनित होने के उपरांत यदि आवेदक स्वयं के कारणों से पंजीयन करवाकर पंजीयन राशि वापिस चाहते हैं तो उनके संपूर्ण पंजीयन राशि जन्त/सम्पहत की जावेगी। (5). योजना में पंजीयन स्वीकृत के उपरांत विक्रय विलेख निष्पादन से पूर्व तक जमा समस्त राशि प्रारंभिक राशि होगी तथा पंजीयन निरस्त करने एवं जमा राशि वापिसी हेतु आवेदक द्वारा आवेदन करने पर पूर्ण पंजीयन राशि जन्त/सम्पहत करने के उपरांत शेष राशि बिना ब्याज के वापिस की जावेगी। (6). मण्डल किन्हीं अपरिहार्य कारणों से योजना निरस्त अथवा परिवर्तित करता है तो संपूर्ण पंजीयन एवं प्रारंभिक जमा राशि 6 प्रतिशत साधारण ब्याज दर के साथ आवेदक को वापिस की जावेगी। (7). पंजीयनकर्ता/आवंटी द्वारा मण्डल की बकाया राशि जमा करने में विलंब होने पर आवंटी को बिलंबित अवधि का 6 प्रतिशत की दर से बिलंबित अवधि का ब्याज भुगतान करना होगा। (8). संपत्ति क्रय हेतु बैंक एवं वित्तीय संस्थानों से विशेष ऋण सुविधा उपलब्ध। (9). वार्षिक आय सीमा EWS हेतु रुपये 3.00 लाख एवं LIG हेतु रुपये 6.00 लाख है। (10). स्व-प्रमाणित आय प्रमाण-पत्र मान्य है। (11). आवेदन एवं पंजीयन राशि एमपी ऑनलाइन के माध्यम से जमा होगी। (12). शासन/मण्डल द्वारा समय-समय पर जारी नियम एवं शर्तें लागू होंगे। (13). पंजीयन उपरांत शेष राशि अटल आश्रय योजना श्री परिसर पड़रवारा कटनी में दो किश्तों में तीन माह के अंदर जमा करनी होगी। (14). ऑनलाइन राशि जमा करने की सुविधा मण्डल वेबसाइट www.mphousing.in के अलॉट्टी पोर्टल पर उपलब्ध है। (15). भवन की संपूर्ण राशि जमा कर भवन का विक्रय विलेख निष्पादित कराकर भवन का आधिपत्य लेना होगा। (16). प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में आवंटन आदेश जारी किये जावेंगे एवं एक से अधिक आवेदन आने पर लॉटरी पद्धति से भवन आवंटित किये जावेंगे।

संपर्क : मृणालिनी मर्सकोले (संपदा प्रबंधक) मो. 8815200030, ज्योति गर्ग (सहायक यंत्री) मो. 7489773048
सुधीर मेथ्राम (उपयंत्री) मो. 9993085675, शंकर लाल पटेल मो. 93998792536

(पवन मरकाम)

संपदा अधिकारी, संभाग कटनी

दूरभाष : 07622-220200



ऑनलाइन भुगतान में
असुविधा होने पर
Whatsapp Helpdesk
Number 7974264023

पंजीकृत आवंटी अथ अपनी समस्त देय राशि का भुगतान मंडल
के मांयाइल एप (MPHIDB_GEO जो Google Play Store
पर उपलब्ध है) के माध्यम से भी कर सकते हैं। दिये गये
QR-Code को स्कैन कर भी एप डाउनलोड कर सकते हैं।



Follow us on
[f/mphidb](https://www.facebook.com/mphidb)
[/mphidb](https://www.instagram.com/mphidb)

Visit us : www.mphousing.in

म.प्र. माध्यम/124339/2026